ब अदालत–विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, न्यायालय सं0–2
बेगूसराय
उत्पाद सनहा सं0 – 383 / 2022
राज्य बनाम् लालो पासवान

Sl. No.	Date	Order	Remarks
	17.10.2022	वाद में आज तिथि नियत है। अभियुक्त लालो पासवान उपस्थित है। अभियुक्त की तरफ से एक आवेदन देकर निवेदन किया गया कि वे स्वेच्छा से अपना दोष स्वीकार करना चाहते है। अतः इस आलोक में सुनवाई कर इस वाद का निस्पादन किया जाय। विद्वान विशेष अपर लोक अभियोजक द्वारा प्राथी के उक्त निवेदन का विरोध नहीं किया गया। उभयपक्षों को सुना। अभियुक्त द्वारा किए गये उपरोक्त निवेदन के आलोक में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) नियमावली 2022 के नियम 18 के अन्तर्गत समर्पण विहित पपत्र VI (क) में वर्णित तथ्यों को अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार किया गया एवं उक्त प्रपत्र को पढ़कर / सुन व समझकर अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से उस पर अपना हस्ताक्षर / L.T.I. बनाया गया। समर्पण विहित प्रपत्र VI (क) में अभियुक्त द्वारा किए गए कथन के आलोक में इस न्यायालय द्वारा प्रपत्र VII में वर्णित कार्यवाही की गयी एवं अभियुक्त को धारा 37 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 के अन्तर्गत दोषी पाया गया एवं इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। सजा के बिंदू पर सुनवाई के कम में इनकी तरफ से निवेदन किया गया कि यह इनका प्रथम अपराध है एवं ए काफी गरीब हैं, अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आदेश पारित किया जाए। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक में उक्त नियमावली के नियम 18 (क)(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमावली 18 (3) के आलोक में यह न्यायालय इस दोषसिद्ध को धारा 37 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 के अंतर्गत किए गए	

		अपराध हेतु 2000/रु0 अर्थदण्ड की सजा देती है एवं इस अर्थदण्ड की राशि अदा न कर पाने की स्थिति में दोषसिद्ध को 30 दिन कारावास का दण्ड भुगतना होगा। लेखापित विशेष न्या0 उत्पाद कोर्ट नं0–2	
	पश्चात् 17.10.2022	उपरोक्त आदेशानुसार दोषसिद्ध <u>लालो पासवान</u> की ओर से नाजीर vide CR No. 948 दिनांक 17.10.2022 के द्वारा अर्थदण्ड की राशि मो0 2000/रुपया जमा किया गया। दोषसिद्ध को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया गया। कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करे। लेखापित विशेष न्या0 उत्पाद कोर्ट नं0–2	